न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–85/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00153)

1. रामचरण पुत्र मोहन लाल, जाति कुम्हार, उम्र 65 साल, निवासी केसरोली, तहसील रामगढ, जिला अलवर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र मोहन लाल, जाति कुम्हार, निवासी केसरोली, तहसील रामगढ, जिला अलवर।
2. पांचा पुत्र मोहन लाल, जाति कुम्हार निवासीयान केसरोली, तहसील रामगढ, जिला अलवर।
3. सुन्दर लाल पुत्र मोहन लाल, जाति कुम्हार निवासी केसरोली, तहसील रामगढ, जिला अलवर।
4. ग्राम पंचायत केसरोली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत केसरोली, तहसील रामगढ जिला अलवर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 08.04.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) रामगढ जिला अलवर के आदेश दिनांक 09.03.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने नामान्तरकरण संख्या 97 दिनांक 04.12.2006 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष दिनांक 20.07.2007 को इस आशय से पेश की कि उक्त विवादित आराजी जिसका कि नामान्तरकरण संख्या 97 दिनांक 04.12.2006 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के द्वारा गलत रूप से दर्ज किया गया क्योंकि उक्त आराजी अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के बुजुर्गान की सम्पत्ति है तथा जिस पर अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का सामुहिक रूप से कब्जा है, न्यायालय को बिना किसी जॉच के उक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता मोहनलाल की वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम गलत दर्ज कर दी। उक्त अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 01.07.2016 को अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का आदेश निर्णय नामान्तरकरण संख्या 97 दिनांक 04.12.2006 को निरस्त करके प्रकरण को तहसीलदार रामगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि वह समस्त दस्तावेजात तथा वारिसान की पुनः जॉच कर उभयपक्षकारान

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आदेश दिनांक 01.07.2016 के निर्देश के अनुसार तहसीलदार रामगढ को पुनः उक्त प्रकरण की जॉच करनी थी तथा समस्त पक्षकारों के दस्तावेजात तथा साक्ष्यों को समाहित करते हुये पुनः अपना आदेश सुनाना था किन्तु दिनांक 09.03.2017 को तहसीलदार रामगढ द्वारा बिना किसी जॉच तथा दस्तावेजात के निर्णय पारित कर एक नये आधार पर उक्त नामान्तरकरण को यथावत रखा गया जो कि आदेश दिनांक 09.03.2017 को पारित किया जिससे अपीलान्ट के हक प्रभावित होते है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित व खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा उक्त तथ्य पर कोई गौर नही किया गया कि उक्त प्रकरण रिमाण्ड होने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा किसी भी तरह की साक्ष्य व दस्तावेजात तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नही किये गये तथा ना ही किसी भी प्रकार के उक्त परिस्थितियों मे बदलाव आया जिससे कि प्रभावित होकर तहसीलदार उक्त गलत रूप से दर्ज नामान्तरकरण के बाबत पूर्ण तथा सही रूप से निर्णय दे सके लेकिन सिर्फ साधारणतया रूप से तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण को तय फरमा दिया गया है जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है जिससे अपीलाधीन आदेश काबिले निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार द्वारा पूर्व मे दर्ज नामान्तरकरण संख्या 97 दिनांक 04.12.2006 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में उनके पास पिता मोहनलाल की वसीयत होने के आधार पर दर्ज किया गया था जिसको अपीलीय न्यायालय द्वारा इस आधार पर रिमाण्ड किया गया था कि तहसीलदार उक्त प्रकरण की पुनः जॉच करें परन्तु तहसीलदार द्वारा अपने वर्तमान निर्णय द्वारा उक्त दर्ज नामान्तरकरण को इस आधार पर सही माना है कि "प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पूर्व में विवादित आराजी जरिये इकरारनामा ताराचन्द व पांचाराम को बेचान किया जाना जाहिर आया है साथ ही पटवारी/आई.एल.आर. से मौके पर कब्जा काश्त की रिपोर्ट लिये जाने पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त होना भी जाहिर नही होता है लिहाजा अपीलान्ट द्वारा अपने हकूक हस्तान्तरण किये जाने की पुष्टि होने से अब आराजी पर कोई हक नही रह जाता" जो कि गलत तथा रिकार्ड के खिलाफ है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा ना तो किसी भी प्रकार का कोई हस्तान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के हक में किया गया है तथा ना ही पूर्व रिमाण्ड निर्णय में तहसीलदार को कब्जे बाबत किसी भी प्रकार जॉच कराये जाने के आदेश दिये गये थे तथा पूर्व निर्णय इस आधार पर रिमाण्ड किया गया था कि किसी प्रकार की वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पूर्व में पेश की गई है, तहसीलदार द्वारा उक्त पारित आदेश पूर्व के निर्णय तथा रिकार्ड के

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार द्वारा उन सभी तथ्यों को भी नजरअन्दाज किया गया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनौति दी हुई है तथा वसीयत का सही व गलत सिद्ध सिर्फ सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो कि दावा सक्षम न्यायालय में लम्बित हैं, तहसीलदार द्वारा उक्त पारित आदेश पूर्व के निर्णय तथा रिकार्ड के पूर्णतया खिलाफ होने के कारण काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.03.2017 को निरस्त फरमाने की कृपा करें व पूर्व में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2016 को बहाल रखे व नामान्तरकरण संख्या 97 ग्राम केसरोली दिनांक 04.12.2016 को निरस्त करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता मोहनलाल की खातेदारी की आराजी वाके ग्राम केसरोली में स्थिति है, जो मोहनलाल की निजी पैदाकर्ता जायदाद है तथा वादग्रस्त आराजी के खातेदारान मोहनलाल ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी की वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दिनांक 18.04.1994 को लिखकर गवाहान के समक्ष नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दी थी तथा रेस्पोडेन्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के लिये प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश किया जिस पर तहसीलदार ने बयानादि जर्द कर वसीयत की जॉच कर विरासत का नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर दर्ज करने के लिऐ ग्राम पंचायत को लिखा दिया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 04.12.2006 को नामान्तरकरण संख्या 97 स्वीकार किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त नामान्तरकरण की अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ के समक्ष पेश की गई जो तलबी में थी और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को तलबी से सम्बन्धित सम्मन नही पहूँचे और उपखण्ड अधिकारी द्वारा एकतरफा में प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है जिसकी पालना में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा प्रकरण की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.08.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न ग्राम केसरोली के नामान्तरकरण संख्या 97 दिनांक 05.12.06 के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी के खातेदार मोहन लाल के फौत होने पर उक्त नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम

तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त वसीयत वर्तमान में प्रचलन में एवं प्रभावी होना स्पष्ट होता है तथा वर्सीयत के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने के ठोस कारण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ के समक्ष उपलब्ध नही थे, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.03.2017 को अनुचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.03.2017 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।